न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 118/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक: 20.9.2018
अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. मांगीलाल
2. राधेश्याम
   पिसरान बिरधीलाल जाति माली निवासी जोश्या का खेडा कापरेन हाल निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
3. मोहनी बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी तोलाराम जाति माली निवासी ग्राम मालीयो का नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा–राज0।
4. रमेश चंद
5. किशन मुरारी
   पिसरान मोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम भीया तहसील के पाटन जिला बूंदी–राज0

...अपीलाट्स

बनाम

1 बदरी बाई पुत्री भोज्या पत्नी शिवकरण जाति माली निवासी धाकडो का मोहल्ला कापरेन जिला बूंदी–राज0
2 महावीर
3 हनुमान
4 नरोत्तम
   पिसरान कैलाश जाति माली निवासीगण ग्राम जोश्या का खेडा कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी।
5 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार के0 पाटन जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट्स

(2) **प्रकरण संख्या: 119/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी**

उनवान

1 मांगीलाल
2 राधेश्याम
   पिसरान बिरधीलाल जाति माली निवासी जोश्या का खेडा कापरेन हाल निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
3 मोहनी बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी तोलाराम जाति माली निवासी ग्राम मालीयो का नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा–राज0।
4 रमेश चंद
5 किशन मुरारी
   पिसरान मोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम भीया तहसील के पाटन जिला बूंदी–राज0

...अपीलाट्स

अति० सं० आयु०
कोटा

बनाम

1 बदरी बाई पुत्री भोज्या पत्नी शिवकरण जाति माली निवासी धाकडो का मोहल्ला कापरेन जिला बूंदी–राज0

2 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार के0 पाटन जिला बूंदी।

(3) **प्रकरण संख्याः 120/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी**

1 मांगीलाल

2 राधेश्याम

पिसरान बिरधीलाल जाति माली निवासी जोश्या का खेडा कापरेन हाल निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

3 मोहनी बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी तोलाराम जाति माली निवासी ग्राम मालीयो का नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा–राज0।

4 रमेश चंद

5 किशन मुरारी

पिसरान मोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम भीया तहसील के पाटन जिला बूंदी–राज0

...अपीलाट्स

बनाम

1 बदरी बाई पुत्री भोज्या पत्नी शिवकरण जाति माली निवासी धाकडो का मोहल्ला कापरेन जिला बूंदी–राज0

2 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार के0 पाटन जिला बूंदी।

उपस्थित : श्री राजकुमार गौतम अभिभाषक अपीलाट

श्री प्रदीप कुमार मेहरा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

निर्णय

दिनांक 9.8.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा अपील सं0 27/2014, 17/2017 एवं 18/17 बउनवान बदरी बाई बनाम मांगीलाल वगेरा में पारित निर्णय दिनांक 13.7.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

1 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित तीनो अपीलों को एक ही निर्णय दिनांक 13.7.2017 से निर्णित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत अपील सं0 118/17, 119/17 एवं 120/17 प्रस्तुत की गई। उक्त तीनों अपीलों मे पक्षकार एवं विषयवस्तु समान होने से इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2 संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि वादग्रस्त आराजी का रेस्पो0 क्रम–1 बद्रीबाई द्वारा नामा0 सं0 93 दिनांक 23.7.2010 ग्राम जोश्या खेडा खातेदार चाहन्या व नटी बाई के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम एवं नामा0 सं0 110 दिनांक 8.3.90 ग्राम जोश्या खेडा खातेदार लाड कंवर एवं केशरा के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम तथा नामा0 सं0 109 दिनांक 8.3.90 ग्राम जोश्या खेडा खातेदार लाड कंवर फौत होने पर उनके वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर नामा0 उसके पक्ष मे की रजिस्टर्ड वसीयत एवं कब्जे की जांच किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बगेर तीनो नामान्तरकरण वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने से नामा0 निरस्त किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई। प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनाक 13.7.2017 को उक्त तीनो अपीलों को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण वसीयत के तथ्यो की प्रमाणिकता की जांच करके उभय पक्ष की सुनवाई कर नियमो मे निहित प्रावधानो के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पो0 बद्रीबाई द्वारा प्रथम अपील मे किये गये अभिवचन से यह स्पष्ट है कि उसने तहसीलदार के0 पाटन को लाड कंवर द्वारा की गई वसीयत के बारे मे कोई सूचना नही दी थी और वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोले जाने के लिये आवेदन नही किया था ऐसी स्थिति मे लाड कंवर के नेसर्गिक उत्तराधिकारियो के पक्ष मे खोले गये नामान्तरण को 27 वर्ष बाद अपील मे चुनोती दिया जाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। रेस्पो0 बद्रीबाई द्वारा नामा0 सं0 93 दिनांक 23.7.2010 की सूचना पटवारी हल्का से दिनांक 20.10.2014 को होना प्रकट करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया किन्तु न तो पटवारी का शपथ पत्र प्रस्तुत और न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। ऐसी स्थिति मे बद्रीबाई का उक्त कथन नितान्त असत्य है क्योंकि बद्रीबाई को प्रारम्भ से ही उपरोक्त नामा0 की जानकारी थी। नामान्तरण की जानकारी विलम्ब से होने का सद्भावी एंव उचित कारण नही बताया गया इसके बावजूद नामा0 खोले जाने के 4 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील मे विलम्ब क्षमा करके अपील स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। प्रक्रिया के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को पहले प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम को निर्णित करना चाहिये था उसके बाद अपील को गुणावगुण पर सुना जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र एवं अपील का एक साथ निर्णय करके प्रकियात्मक एवं वैधानिक त्रुटि की है। लाडकंवर ने रेस्पो0 बद्रीबाई के पक्ष मे कोई वसीयत निष्पादित नही की अपील विषयक पैत्रिक सम्पत्ति का अभी तक पक्षकारो के मध्य बटवारा नही हुआ है लाडकंवर को वसीयत करने का अधिकार भी नहीं था। नामा0 की संक्षिप्त कार्यवाही मे स्वत्व का निर्धारनण नही किया जा सकता। वसीयत को नियमानुसार साक्ष्य के बिना साबित नही किया जा सकता। वसीयत को निर्णित करने का अधिकार तहसीलदार को नही है ऐसी स्थिति मे पक्षकारो के मध्य विवाद का निर्णय नामान्तरकरण की कार्यवाही मे किया जाना संभव नही है। यदि कोई व्यक्ति वसीयत के आधार पर अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक से अन्य उत्तराधिकारियो को वचित करना चाहता है तो उसे अपने अधिकार की घोषणा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर करवानी चाहिये पक्षकार अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात एवं विनिर्णयों का भली भांति विवेचन नही किया अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि बद्रीबाई द्वारा चाहन्या व नटी के फौत होने उपरांत उसके वारिसान के नाम तस्दीक किये गये नामा0 सं0 93 दिनांक 23.7.2010 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय मे दिनांक 31.10.2014 को लगभग 4 वर्ष बाद अपील पेश की गई जो मियाद बाहर थी। बद्रीबाई को वसीयत की 27 वर्ष तक जानकारी नही होने संबधी तथ्य निराधार

है। इसी प्रकार नामा0 सं0 109 व 110 के विरूद्ध वर्ष 2017 मे लगभग 24 वर्ष बाद अपील पेश की गई जिसमे बद्रीबाई ने कहा था कि लाडबाई ने वसीयत की है अतः स्पष्ट है कि बद्रीबाई को वर्ष 2014 मे पेश की गई पहली के समय ही नामा0 सं0 109 व 110 की जानकारी थी। नामान्तरण की जानकारी विलम्ब से होने का सद्भावी एंव उचित कारण नही के बावजूद विलम्ब क्षमा करके अपील स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। बहस मे यह भी बताया कि लाडकंवर ने रेस्पो0 बद्रीबाई के पक्ष मे कोई वसीयत निष्पादित नही की अपील विषयक पैत्रिक सम्पत्ति का अभी तक पक्षकारो के मध्य बटवारा नही हुआ है लाडकंवर को वसीयत करने का अधिकार भी नहीं था। नामा0 की संक्षिप्त कार्यवाही मे स्वत्व का निर्धारनण नही किया जा सकता। वसीयत को नियमानुसार साक्ष्य के बिना साबित नही किया जा सकता। वसीयत को निर्णित करने का अधिकार तहसीलदार को नही है ऐसी स्थिति मे पक्षकारो के मध्य विवाद का निर्णय नामान्तरकरण की कार्यवाही मे किया जाना संभव नही है। यदि कोई व्यक्ति वसीयत के आधार पर अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक से अन्य उत्तराधिकारियो को वंचित करना चाहता है तो उसे अपने अधिकार की घोषणा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर करवानी चाहिये अपने तर्क के समर्थन मे आरआरडी 1982 पेज 1 डीएनजे (सुप्रीम) 2014 पेज 310 आरआरडी 1990 पेज 649 आरआरडी 2009 पेज 123 आरआरडी 2012 पेज 765 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे बताया कि लाडकंवर ने अपने हिस्से की रजिस्टर्ड वसीयत ब्रदीबाई के पक्ष मे निष्पादित की है। वसीयत सामने नही आई। वसीयत की जानकारी होने पर विवादित नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम–1 बद्रीबाई द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर वसीयत के तथ्यो की प्रमाणिकता की जांच करके उभय पक्ष की सुनवाई कर नियमो मे निहित प्रावधानो के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया है जिसमे कोई गलती नही है। अपीलांट वसीयत से किसी प्रकार व्यथित है तो उसको सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर चुनोती देने के लिये स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति मे अपील करने का अनुरोध किया।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनाक 13.7.2017 को उक्त तीनो अपीलों को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश (नामा0 सं0 93, 109, 110) निरस्त कर प्रकरण वसीयत के तथ्यो की प्रमाणिकता की जांच करके उभय पक्ष की सुनवाई कर नियमो मे निहित प्रावधानो के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अवधि बाधित अपीलों को स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0 पत्र के प्रस्तुत जवाब के साथ खण्डन मे शपथ पत्र पेश नही किया गया ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने 27 वर्ष बाद प्रस्तुत हुई अपील को आरआरडी 1998 पेज 319 के आलोक मे रजिस्टर्ड वसीयत की पालना नही होने से अपीलो को सारहीन होना नही मानते हुये गुणावगुणो के आधार पर विचार कर प्रकरण निर्णय किये जाने हेतु परीक्षण न्यायालय को रिमांड किया है जिसमे हमे किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नही होता है अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 1982 पेज 1 डीएनजे (सुप्रीम) 2014 पेज 310 चस्पा नही होते है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नामा0 सं0 93 दिनांक 23.7.2010 खातेदार चाहन्या व नटी बाई के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम एवं नामा0 सं0 110 व 109 दिनांक 8.3.90 खातेदार लाड कंवर के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व बद्रीबाई को सुनवाई का अवसर नही देने तथा ना ही कब्जे के संबध मे जांच की गई वर्णित करते हुये नामा0 सं0 93 मे वसीयत संबधी भूमि होने से बद्रीबाई नैसर्गिक वारिस होने से अपने हितो

का निर्धारण करवाने का पात्र होना मानते हुये बद्रीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत तीनों अपीलों को जेरअपील निर्णय दिनांक 13.7.2017 से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया है। जहां तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट का वसीयत के संबध मे अपने हक हकूको की घोषणा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर कराने का तर्क है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे वर्णित किया है कि नामा0 सं0 93 मे वसीयत संबधी भूमि होने से बद्रीबाई नैसर्गिक वारिस होने से अपने हितो का निर्धारण करवाने का पात्र होना मानकर बद्रीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत तीनों अपीलों को जेरअपील निर्णय दिनांक 13.7.2017 से स्वीकार कर वसीयत के तथ्यो की प्रमाणिकता की जांच करके उभय पक्ष की सुनवाई कर नियमों मे निहित प्रावधानो के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की जाना प्रकट नही होता है ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 1990 पेज 649 आरआरडी 2009 पेज 123 आरआरडी 2012 पेज 765 चस्पा नही होते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 9.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा.